न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर

(न्याय निर्णयन अधिकारी : दीपेन्द्र सिंह राठौर , आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्या : 10/2024 (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि./नियम)

GCMS NO: 2024/13

अनवान

1. राज्य सरकार जरिये श्री जगदीश प्रसाद सैनी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उदयपुर (राज.)।

–प्रार्थी

बनाम

1. श्री चन्द्रशेखर साहू पिता श्री मांगीलाल साहू मैसर्स अटारी रेस्टोरेन्ट कुराबड हाउस 2 अम्बेगढ नियर आयुर्वेद कॉलेज उदयपुर स्थाई पता – 306, कृष्णापुरा, जिला– उदयपुर मो 9828444461

–विपक्षी

उपस्थित

1. श्री जगदीश प्रसाद सैनी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी।
2. अधिवक्ता श्री रजनीश माथुर विपक्षी ।

अन्तर्गत धारा 26 (2)(ii) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006, नियम 2011

●निर्णय●

दिनांक 28-06-2024

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चि कित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ5(1)चिस्वा./ग्रुप–3/2022 दिनांक 02.12.2022 के अनुसरण श्री जगदीश प्रसाद सैनी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो वाद मे राज्य सरकार है द्वारा उक्त विपक्षी पर सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ विक्रय करने हेतु परिवाद दायर कर अवगत कराया है कि राज्य सरकार की ओर से वे दिनांक 18.09.2023 को 01.00 पी.एम. बजे वास्ते चेकिंग मैसर्स अटारी रेस्टोरेन्ट कुराबड हाउस 2 अम्बेगढ नियर आयुर्वेद कॉलेज उदयपुर पर पहूँचा, वहॉ विपक्षी श्री चन्द्रशेखर साहू उपस्थित पाये गये, जिन्होने स्वयं को मैसर्स अटारी रेस्टोरेन्ट कुराबड हाउस 2 अम्बेगढ नियर आयुर्वेद कॉलेज उदयपुर का विक्रेता होना बताया। विक्रेता से फर्म का अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन मांगा जो उपलब्ध पाया।

निरीक्षण के समय विक्रेता के रेस्टोरेंट पर किचन में स्टील की पतेली में करीब 4 किलोग्राम वेज रायता आम जनता को परोसने एवं विक्रय करने का रखा पाया। सबस्टैण्डर्ड/अनसेफ की शंका होने से उक्त वेज रायता को अच्छीतरह से हिलामिलाकर एकरूप करके नियमानुसार 2 कि.ग्रा. वेज रायता वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया। जिसकी

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर (राज.)

सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर VA पर दी। क्रय शुदा वेज रायता की कीमत विक्रेता के बताये अनुसार 300 रू. नकद चुका रसीद प्राप्त की।

प्रार्थी ने अपने आवेदन मे उल्लेख किया कि उक्त क्रयशुदा वेज रायता को विक्रेता तथा गवाहान की उपस्थिति में चार साफ, सुखे व खाली प्लास्टिक के जारों में बराबर मात्रा में भरकर फार्मेलिन की 40 बूंद प्रत्येक जार में डालकर इनका मुँह ढक्कन की सहायता से कसकर एयर टाइट बन्द किया, नियमानुसार सीलबन्द किये। प्रत्येक जार पर लेबल चिपकाया व लेबल पर नमूना कोड व क्रमांक, नमूना लेने की दिनांक एवं स्थान, नमूने की किस्म अंकित कर हस्ताक्षर किये एवं विपक्षी, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं जार को सील कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लीप नम्बर ए.ए–**2420** का एक–एक भाग प्रत्येक नमूनो के जार पर पेंदे से शीर्ष तक चिपका कर सील बंद नमूनो के जार पर खाद्य कारोबारकर्ता के पेपर स्लीप व रेपर पर नियमानुसार क्रॉस हस्ताक्षर कराये एवं नमूने की सील भागो को कब्जे मे लिया। फार्म नम्बर 5ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की।

एक सील बंद नमूना मय फार्म न. 6 की प्रति के आउटकवर मे सील कर खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को वास्ते जांच भेजा साथ मे फार्म न. 6 की एक प्रति जिस पर नमूना सील अंकित था एक लिफाफे मे सील बंद कर खाद्य विश्लेषक को भेजी। नमूने के एक सील बंद भाग को मय फार्म न.6 की प्रतियों के आउटकवर मे सील बंदकर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर को जमा कराई व नमूने के चौथे भाग को फार्म न.6 की प्रति के साथ आउटर कवर मे सील बंद कर अभिहित अधिकारी को जमा कराया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/9140 दिनांक 03.10.2023 के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर की रिपोर्ट न. एलएस/786/एक्ट /2023/786 दिनांक 29.09.2023 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार उक्त नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। क्योंकि Butyrorefractometer Reding at 40°C, of extracted fat.40.0-44.0(prescribed for milk fat under item no. 2.1.8(2b) होना चाहिए था कि जगह 38.80% पाया गया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए. /2023/9141 दिनांक 03.10.2023 के द्वारा विक्रेता को धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के विरूद्ध अपील हेतु रजिस्टर्ड नोटिस दिया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूनो की पत्रावली अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत करने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं अधिकारी को प्रस्तुत करने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2024/71 दिनांक 03.01.2024 द्वारा

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस को न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इनका टर्नऑवर 12 लाख रूपया वार्षिक से कम है।

कार्मिक (क–4) विभाग, राज. सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 द्वारा राज्य के सभी जिलो मे कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिनके पास सिविल न्यायालय के अधिकार है, को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उनके अधिनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उक्त अधिसूचना के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया जाकर अपना पक्ष प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। सुनवाई हेतु नियत तिथि को आरोपी मय अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब पेश कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने पद एव पद के अधिकारों के सम्बन्ध में कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा जिस दिवस एवं समय का अंकन किया गया है उस दिवस एवं समय पर किसी भी प्रकार से रेस्टोरेंट में किसी भी ग्राहकों की उपस्थिति नहीं थी एवं ना ही किन्ही ग्राहकों को किसी प्रकार से कोई खाद्य व्यंजन अथवा अन्य कोई वस्तु सर्व की जा रही थी साथ ही जिस समय का अंकन किया गया है उस समय पर रेस्टोरेंट में कर्मचारी भी कार्यरत नहीं थे एवं आवेदक ने स्वंय माना है कि खाद्य पदार्थ विक्रय का अनुज्ञप्ति पत्र उपलब्ध है। न्याय निर्णयन आवेदन मे कलम संख्या 3 मे जिस वेज रायते का उपलब्ध होना दर्शाया गया हैं वह सर्वथा गलत है, मुझ प्रार्थी की किचन में रायता ना तो विक्रय करने के लिये बनाया गया था एवं ना ही किसी प्रकार से रायतें का निर्माण अन्य पदार्थ मिलाकर किया गया था। जिस स्टील की पतीले के बाबत् अधिकारी ने अंकन किया है वह स्टील की पतेली कितने माप एवं कितने भार की थी साथ ही पतीले के भार समेत अंकित किये गये रायते का कुल भार कितना था, उसका भी अंकन नहीं किया गया हैं साथ ही जो स्टील की भगोनी जिसमें 2 किलो वेज रायता निकालना अंकित किया गया है वह भगौनी कौन, कहां से कैसे लेकर आया उसका क्या भार था उसका भी कोई अंकन नहीं किया गया है साथ ही जो 300/– रूपये क्रय मुल्य अंकित किया है वह क्रय मुल्य भी मुझ प्रार्थी को प्राप्त नहीं होना था चूंकि जो दर दर्शायी गई है उस पर मुझ प्रार्थी के यहां पर रायते का विक्रय नहीं किया जाता है। जिन रसीदों का उल्लेख किया गया है वे रसीदे मुझ प्रार्थी को एवं दस्तोवज मुझ प्रार्थी को प्राप्त नहीं हुए है। जिन चार प्लास्टिक के जारों का अंकन किया गया है वे जार उपयोगशुदा थे अथवा हीं इसका कोई विवरण अंकित नहीं किया है साथ ही उक्त चारों जार नये क्रय किये गये थे तो उनका भी कोई अंकन नहीं किया गया है साथ ही फार्मेलिन की जो बुंदे डालने का अंकन किया है वह भी संशय है चूंकि जिन बूंदो को अधिकारी के द्वारा बोतलों में डालना बताया गया है वे वास्तव में फार्मेलिन थी अथ्वा नहीं इसका ना तो कोई सैम्पल लिया गया है वं ना ही उक्त सैम्पल की कोई जांच या रिपोर्ट आयी हो जो यह बताती हो कि बोतलों में डाली गई बूंदे फार्मेलीन की थी। जो प्रकिया अंकित की गई है वह प्रकिया पूर्णतया संदेहास्पद है, क्योंकि जिन गवाहों के हस्ताक्षर लिये गये है उन गवाहान का किसी भी प्रकार कसे कोई

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

बयान स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र न्यायालय के समक्ष अंकिन नहीं करवाये गये है ऐसे में गवाहों के संदेहास्पद होने पर अपनाई गई प्रकिया भी संदेह की परिभाषा में आती है साथ ही अधिकारी ने कही यह अंकित नहीं किया है कि नमूने में लिये गये रायते के अतिरिक्त शेष बचे रायते का अधिकारी ने क्या किया ऐसे में की गई कार्यवाही संदेहास्पद है। यह कि फार्म संख्या 5 ए की प्रति प्रार्थी को उपलब्ध नहीं करवाई गई है। रायते का सेम्पल लिया है जो दही से मिलकर बनता है दही की प्रकृति दूध से दही बनने के उपरांत प्रति प्रहर हर घंटे बदलती रहती है और यदि उस दही में बाहरी वस्तु किसी भी रूप में मिला दी जाये तो वह दही हर थोडी देर के बाद अपनी प्रकृति बदल लेता है, चूंकि चिकित्सा अधिकारी के द्वारा कहीं पर भी यह अंकित नहीं किया गया है कि जो रायता उनके द्वारा किचन में पाया गया था वह फ्रिज में रखा हुआ था या फ्रिजर किया हुआ था ऐसे में जिस दही से रायता बनने का उल्लेख किया गया है उस वस्तु में प्राकृतिक रूप से बदलाव आना एवं फर्मर टेशन की किया होना स्वाभाविक है, ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है एवं ना ही निर्णित किया जा सकता है कि जो प्रक्रिया सुरक्षा अधिकारी के द्वारा अपनाई गई हैं एवं जिस रायते को निम्नतर स्तर का माना है, वह सही हो। मुख्य अधिकारी के द्वारा अपने स्तर पर जांच किये बिना एवं आवश्यक तथ्यों को मददे नजर रखे बिना आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया वह विधि विरूद्ध है, चूंकि मुख्य अधिकारी के द्वारा भी प्रार्थी को अपना पक्ष रखे जाने हेतु ना तो तलब किया गया एवं ना ही किसी प्रकार कसे कोई जांच करने के आवेदन करने का समय दिया गया । श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र न्याय निर्णय हेतु जिस प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है वह सर्वथा जवाबदाता के अधिकारों के विरूद्ध है चूंकि जवाबदाता को किसी भी प्रकार से कोई सूचना पत्र अथवा अपने पक्ष रखे जाने हेतु मौका प्रदत्त नहीं कर एक पक्षीय आधार पर बिना जांच विधिवत रूप से कराये बिना न्याय निर्णयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है वह सर्वथा विधि के विरूद्ध हैं। चूंकि जवाबदाता के द्वारा किसी भी प्रकार से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की किसी भी धारा एवं नियम का उल्लंघन नहीं किया गया हैं, ऐसे में जवाबदाता को किसी भी शास्ति से दण्डित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। ऐसे में प्रस्तुत आवेदन अस्वीकार किये जाने योग्य है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि जवाबदाता का जवाब रिकार्ड पर लिया जाकर जवाबदाता को पत्रावली के समस्त दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध कराये जाने एवं आवेदन पत्र से संबन्धित गवाहों को परिक्षित किये जाने का अवसर प्रदान करें एवं प्रस्तुत जवाब के आधार पर प्रस्तुत आवेदन को खारिज किया जाने के आदेश प्रदान कराने की कृपा करावें।

प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस प्रारंभ करते हुए न्याय निर्णयन आवेदन मे वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं आरोपी को अधिकाधिक शास्ति के दण्ड से दंडित किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं आवेदन को खारिज किया जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली मे उपलब्ध न्याय निर्णयन आवेदन, विपक्षी के प्रार्थना पत्र, खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गंभीरता से मनन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा निरीक्षण के समय

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

विक्रेता के रेस्टोरेंट पर किचन में स्टील की पतेली में करीब 4 किलोग्राम वेज रायता आम जनता को परोसने एवं विक्रय करने का रखा पाया। सबस्टैण्डर्ड/अनसेफ की शंका होने से उक्त वेज रायता को अच्छीतरह से हिलामिलाकर एकरूप करके नियमानुसार 2 कि.ग्रा. वेज रायता वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया। जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर VA पर दी। नियमानुसार खाद्य विश्लेषण हेतु खाद्य विश्लेषक, उदयपुर को भेजा जाने पर प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। **क्योंकि Butyrorefractometer Reding at 40°C, of extracted fat.40.0-44.0(prescribed for milk fat under item no. 2.1.8(2b) होना चाहिए था कि जगह 38.80% पाया गया।**

मामले मे यह भी कहना उचित होगा कि कोई भी उपभोक्ता उसके स्वास्थ्य लाभ के लिये विश्वास के आधार पर खाद्य कारोबारकर्ता/खाद्य निर्माता से खाद्य उत्पाद को क्रय कर उसका सेवन/उपयोग करता है एवं प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्ता/खाद्य निर्माता का यह दायित्व है कि वह ग्राहको के हितों को ध्यान मे रखते हुये खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मापदण्ड़ एवं दिशा निर्देशों की पूर्णतया पालना करे। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 मे सबस्टेण्डर्ड के मामलों मे अधिकतम राशि 5,00,000/– शास्ति का प्रावधान अंकित हैं। उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान मे रखते हुए एवं मामले की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को अधिकाधिक शास्ति के दण्ड से दंडित किये जाने योग्य है।

प्रकरण मे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx)के तहत सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय करके विपक्षी आरोपी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अपराध कारित होने से आरोपी को कुल राशि ₹100000/–रु अक्षरे रूपया एक लाख मात्र के आर्थिक दण्ड़ से दण्ड़ित किया जाता हैं एवं आदेशित किया जाता है कि भविष्य मे सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थो का निर्माण/विक्रय न करें। विपक्षी अभियुक्त जुर्माना राशि ''न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर'' के नाम जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा चालान के माध्यम से एक माह मे आवश्यक रूप से जमा करावें।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
उदयपुर